राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)

विज्ञापन सं. 01 / ग्रेड ए/ 2024-25

ग्रेड 'ए' (आरडीबीएस) में सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा (आरडीबीएस)/ राजभाषा सेवा में ग्रेड 'ए' में **सहायक प्रबंधक (ग्रेड 'ए')** के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. अभ्यर्थी **27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024** के बीच नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर **ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं. नाबार्ड अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है जिस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है और जो समान अवसर देने वाला नियोक्ता है.

आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी सभी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि वे पद हेतु सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. नाबार्ड अपेक्षित लागू परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को शामिल करेगा और साक्षात्कार/ कार्यग्रहण के चरण में उनकी पात्रता सत्यापित की जाएगी. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी मिथ्या/ गलत है अथवा यदि बैंक के अनुसार अभ्यर्थी पद हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे साक्षात्कार में शामिल होने/ सेवा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि केवल बैंक की वेबसाइट www.nabard.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें. किसी अन्य पद्धति से किया गया आवेदन नाबार्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सहयोग की सुविधा: फॉर्म भरने, शुल्क/ सूचना प्रभार के भुगतान या बुलावा पत्र को डाउनलोड करने में यदि कोई समस्या आती है तो http://cgrs.ibps.in/ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. कृपया ई-मेल के विषय के रूप में "नाबार्ड अधिकारी – ग्रेड 'ए' (आरडीबीएस/ राजभाषा) – सीधी भर्ती" लिखना न भूलें.

महत्वपूर्ण तिथियाँ/ समय-सीमा

ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क/ सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान	**27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024**
चरण I (प्रारम्भिक) -ऑनलाइन परीक्षा	**01 सितंबर 2024**
@नाबार्ड को परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन करने का अधिकार है	

(मुख्य परीक्षा की तारीख हमारी वेबसाइट **www.nabard.org** पर अलग से घोषित की जाएगी.)

<u>तालिका - **1**</u>

I. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण

ग्रेड ए (आरडीबीएस/ राजभाषा) – 2024 – रिक्तियाँ और आरक्षण

क्र.सं.	पद/ विषय-क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	आकव	कुल	दिव्यांग
	सहायक प्रबंधक (आरडीबीएस)							
i)	सामान्य	23#	7	3	12	5	50	07@@
ii)	सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटंट)	2	-	-	1	1	4	
iii)	वित्त	3	1*	1*	1	1	7	
iv)	कंप्यूटर/ सूचना प्रौद्योगिकी	9	1	1	5	-	16	
v)	कृषि	1	-	-	-	1	2	
vi)	पशुपालन	1	-	-	1	-	2	
vii)	मत्स्यपालन	-	-	1	-	-	1	
viii)	खाद्य प्रसंस्करण	-	-	-	1	-	1	
ix)	वानिकी	1	-	-	1	-	2	
x)	वृक्षारोपण और बागबानी	1	-	-	-	-	1	
xi)	भू सूचना विज्ञान	-	-	-	1	-	1	
xii)	विकास प्रबंधन	1	-	1	1	-	3	
xiii)	सांख्यिकी	-	-	1	-	1	2	
xiv)	सिविल इंजीनियरिंग	1	-	-	2	-	3	
xv)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	-	-	1	-	-	1	
xvi)	पर्यावरण इंजीनियरिंग/ विज्ञान	1	-	1	-	-	2	
xvii)	मानव संसाधन प्रबंधन	1	1	-	-	-	2	
	सहायक प्रबंधक (आरडीबीएस) कुल	**45**	**10**	**10**	**26**	**9**	**100**	
II	**सहायक प्रबंधक (राजभाषा)**	1	1*	-	-	-	2	1$
	कुल जोड़	**46**	**11**	**10**	**26**	**9**	**102**	

@ @ **वर्ग (क) -01, वर्ग (ख) – 02* (बैकलॉग रिक्ति शामिल है), वर्ग(ग) -1, और वर्ग(घ एवं ड.) –03* (बैकलॉग रिक्ति शामिल है)**

#पिछले वर्ष आकव की भरी न गई 02 रिक्तियाँ शामिल हैं

*** बैकलॉग रिक्ति शामिल है**

$01 एलडी बैकलॉग रिक्ति शामिल है

विभिन्न श्रेणियों, नामत: अनारक्षित (यूआर), अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जन जाति (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के लिए ग्रेड ए (आरडीबीएस)/ राजभाषा के पदों हेतु निर्धारित समग्र रिक्तियों के भीतर बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण क्षैतिज रूप से लागू किया जाएगा.

(i) अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव / दिव्यांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा.

(ii) बैंक को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी विषय-क्षेत्र की रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/ घटाने या किसी भी रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देने का अधिकार है.

(iii) अपिव श्रेणी के जो अभ्यर्थी 'क्रीमी लेयर' में आते हैं उन्हें अपिव आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में दर्शाना चाहिए.

(iv) यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं जिनमें रिक्तियाँ आरक्षित नहीं हैं, तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना चाहिए.

(v) सहायक प्रबंधक (आरडीबीएस) के 100 पदों और सहायक प्रबंधक (राजभाषा) के 02 पदों में से 08 पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आरक्षित हैं जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है. समग्र दिव्यांग श्रेणी पदों में 01 एचआई, 02 (वर्ग घ + ङ) और 01 एलडी के बैकलॉग पद शामिल हैं.

सहायक प्रबन्धक (आरडीबीएस) के लिए दिव्यांग श्रेणी के सभी 07 पद सामान्य और विशिष्ट विषयों के लिए खुले हैं.

तालिका – II

ग्रेड ए (आरडीबीएस) – दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

क्र.सं.	अक्षमता का प्रकार	पात्र बेंचमार्क अक्षमता	निर्धारित पद	कार्य संबंधी आवश्यकताएँ
अ	श्रेणी (क)	नेत्रहीन (बी), कम दृष्टि (एलवी)	01	एस- बैठना डब्ल्यू –चलना एमएफ - उंगलियों से हेरफेर आरडब्ल्यू - पढ़ना और लिखना एसई - देखना सी- संचार
आ	श्रेणी (ख)	बेहेरा (डी), ऊँचा सुनने वाला (एचएच)	02	
इ	श्रेणी (ग)	एक भुजा प्रभावित (ओए), दोनों भुजाएं प्रभावित (बीए), एक टांग प्रभावित (ओएल), दोनों टांगे प्रभावित (बीएल), एक भुजा और एक टांग प्रभावित (ओएएल), दोनों टांगे व भुजाएं प्रभावित (बीएलए), दोनों टांगे और एक भुजा प्रभावित (बीएलओए), प्रमस्तिष्किय पक्षाघात (सीपी), कुष्ठ उपचारित (एलसी), बौनापन (डीडब्ल्यू), एसिड हमला पीड़ित (एएवी), पेशीयदुष्पोषण (एमडीवाई), (तंत्रिका संबंधी/ लिंब डिस्फंक्शन वाले स्पाइनल डिफॉर्मिटी (एसडी)/ स्पाइनल इंजूरी (एसआई) वाले व्यक्तियों को संबंधित उपश्रेणी ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के तहत कवर किया जाएगा) तंत्रिका संबंधी/ लिंब डिस्फंक्शन के बिना स्पाइनल डिफॉर्मिटी (एसडी)/ स्पाइनल इंजूरी (एसआई)	01	
ई	श्रेणी (घ)	ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (अत्यल्प) (एएसडी) (एम),		

		मानसिक रुग्णता (एमआई)	03	
उ	संवर्ग (ङ)	एमडी – बहु दिव्यांगता (उपरोक्त क से घ मिलाकर)		

<u>तालिका</u> – III

<u>ग्रेड ए (राजभाषा) – दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण</u>

क्र.सं.	**अक्षमता का प्रकार**	**पात्र बेंचमार्क अक्षमता**	**निर्धारित पद**	**कार्य संबंधी आवश्यकताएँ**
अ	श्रेणी (क)	नेत्रहीन (बी), कम दृष्टि (एलवी)	-	एस- बैठना डब्ल्यू –चलना एमएफ - उंगलियों से हेरफेर आरडब्ल्यू - पढ़ना और लिखना एसई - देखना सी- संचार
आ	श्रेणी (ख)	ऊँचा सुनने वाला (एचएच)	-	
इ	श्रेणी (ग)	एक भुजा प्रभावित (ओए), दोनों भुजाएं प्रभावित (बीए), एक टांग प्रभावित (ओएल), दोनों टांगे प्रभावित (बीएल), एक भुजा और एक टांग प्रभावित (ओएएल), प्रमस्तिष्किय पक्षाघात (सीपी), कुष्ठ उपचारित (एलसी), बौनापन (डीडब्ल्यू), एसिड हमला पीड़ित (एएवी), पेशीयदुष्पोषण (एमडीवाई),	01	
ई	श्रेणी (घ)	ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (अत्यल्प) (एएसडी), विशिष्ट अधिगम विकलांगता (एसएलडी), मानसिक रुग्णता (एमआई)	-	
उ	संवर्ग (ङ)	एमडी – बहु दिव्यांगता (उपरोक्त क से घ मिलाकर)		

(vi) दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी आयु और आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट के लिए पात्र होंगे. तथापि उन्हें सूचना प्रभार का भुगतान करना होगा.

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नोट:

- **<u>वीसी</u>: दृष्टिबाधित (वीसी):** केवल वे दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं जो निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में हों.

  i. पूर्ण दृष्टिहीनता.

  ii. बेहतर आँख में करेक्टिंग लेंस के साथ दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 से अथवा 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं होनी चाहिए.

  iii. 20 डिग्री से कम उससे खराब कोण के साथ दृष्टि का सीमित प्रसार.

आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के विशिष्ट विकलांगता संबंधी अनुसूची के अंतर्गत परिभाषित कम दृष्टि वाले अभ्यर्थी.

- **श्रवणबाधित (एचआई)** :

  ग्रेड ए – आरडीबीएस - ऐसे श्रवणबाधित व्यक्ति (एचआई) जो आंशिक रूप से श्रवणबाधित (अर्थात् जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है) हैं वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

  ग्रेड ए –राजभाषा- ऐसे श्रवणबाधित व्यक्ति (एचआई) जो आंशिक रूप से श्रवणबाधित (अर्थात् जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है) अथवा पूर्णत: श्रवणबाधित (डी) हैं वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

- **चालन नि:शक्तता (एलडी)**:

  ग्रेड ए – आरडीबीएस – केवल ऐसे अस्थि विकलांग (ओसी) अभ्यर्थी जिन्हें तालिका II में दिए गए अनुसार चालन नि:शक्तता है वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

  ग्रेड ए –राजभाषा- केवल ऐसे अस्थि विकलांग (ओसी) अभ्यर्थी जिन्हें तालिका III में दिए गए अनुसार चालन नि:शक्तता है वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

दिव्यांग अभ्यर्थी (अना/ अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव) किसी भी श्रेणी से संबंधित हो सकते हैं. दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण क्षैतिज है और ये रिक्तियाँ पद की समग्र रिक्तियों के भीतर हैं.

4. I स्क्राइब का उपयोग करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश:

दृष्टि बाधित अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से बाधित है, अपनी लागत पर निम्नलिखित (ii) और (iii) में निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपने स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे सभी मामलों में जहाँ स्क्राइब की सहायता ली जाती है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

i. आवेदक को अपनी लागत पर स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.

ii. अभ्यर्थी द्वारा लिया गया स्क्राइब इसी परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए. यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी. परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से इस बात का, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय, उल्लेख करें. बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

iii. एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब का कार्य करने वाला व्यक्ति अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब का कार्य नहीं कर सकता.

iv. स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक विषय का छात्र हो सकता है. तथापि, 'सामान्य' से इतर विषय-क्षेत्र के पदों के लिए स्क्राइब को संबन्धित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक विषय से इतर विषय का होना चाहिए.

v. परीक्षा के समय अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों एक उपयुक्त वचन-पत्र देंगे जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है. इसके अलावा, यदि बाद में यह

पता चलता है कि स्क्राइब ने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार का परिणाम/ अंतिम परिणाम के बावजूद आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.

vi. जो अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करते हैं वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए बीस मिनट का या अन्यथा यथासूचित क्षतिपूरक समय के पात्र होंगे.

vii. चूँकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति समय व्यवस्था आधारित होगा इसलिए केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही क्षतिपूर्ति समय की सुविधा दी जाएगी. यदि अभ्यर्थी को इस व्यवस्था के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है तो परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के लिए क्षतिपूर्ति समय देना संभव नहीं होगा. क्षतिपूर्ति समय के लिए पंजीकृत न किए गए अभ्यर्थी इस प्रकार की सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे.

viii. अभ्यर्थी को इन सेवाओं/ सुविधाओं के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के और दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र होने की स्थिति में ही स्क्राइब/ क्षतिपूर्ति समय का उपयोग करने का विकल्प देना चाहिए.

ix. स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय, दिव्यांगजन कार्य विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ़.सं. 16-110/ 2003-डीडीIII दिनांक 26 फरवरी 2013 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी.

x. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया गया कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि लेखक ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है.

दिव्यांग अभ्यर्थियों (जिनकी 40% या उससे अधिक विकलांगता है) पर लागू निर्देशों के अलावा, निम्नलिखित नियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लागू होंगे, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति.

- स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई हो रही है, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की सीमा है और वह स्क्राइब परिशिष्ट-I में प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से अपनी ओर से परीक्षा लिखना आवश्यक है.
- एक स्क्राइब की योग्यता, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए. स्वयं के स्क्राइब का चयन करने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए.

(ii) **चालन निःशक्तता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

चालन निःशक्तता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले जिन अभ्यर्थियों के लिखनेवाले हाथ के अग्र भाग की काम करने की क्षमता कम है (कम से कम 40% क्षति), उन्हें प्रति घंटा बीस मिनट अथवा अन्यथा यथासूचित क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा.

(iii) **दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जिनकी अक्षमता 40% से कम नहीं है) यह विकल्प दे सकते हैं कि वे फॉन्ट का आकार बड़ा कर जाँच परीक्षा की विषय-वस्तु को देखें और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए बीस मिनट क्षतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे.

II. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) के लिए आरक्षण

जो व्यक्ति अजा, अजजा और अपिव के लिए आरक्षण की योजना में शामिल नहीं है और जिसके परिवार की सकल वार्षिक आमदनी रु. 8.00 लाख (रुपए आठ लाख) से कम है और जो भारत सरकार के आकव मानदंडों को पूरा करते हैं उनकी पहचान आरक्षण के लाभ के लिए आकव के रूप में की जानी है. आय में सभी स्रोतों, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय शामिल होगी.

इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित आस्तियों में से कोई भी आस्ति होगी उन्हें आकव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी क्यों न हो:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

iii. अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

iv. अधिसूचित नगरपालिका से भिन्न क्षेत्र में 200 वर्ग गज या उस से अधिक का आवासीय प्लॉट;

नोट: केवल बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे. "बेंचमार्क दिव्यंगता" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट दिव्यंगता 40% से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट दिव्यंगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यंगता को प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित एक मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है. एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऐसा प्रमाणपत्र सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है.

दिव्यंगता के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं. उन्हें ऐसे लाभों के लिए निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में दिव्यंगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. ये प्रमाण पत्र पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पर या उससे पहले दिनांकित होने चाहिए.

दिव्यांग जनों/ पूर्व सैनिकों/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) के आवेदकों से संबन्धित दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं.

III. पात्रता मानदंड: शैक्षणिक अर्हता (01-07-2024 की स्थिति के अनुसार)

क) कोई भी अभ्यर्थी **तालिका-1** में दिए गए विकल्पों में से **केवल एक विकल्प** के अंतर्गत सहायक प्रबंधक (आरडीबीएस/ राजभाषा) के पद के लिए आवेदन कर सकता है. यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायक प्रबन्धक (आरडीबीएस-सामान्य) के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी दूसरे विषय-क्षेत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकता

और इसी तरह दूसरे विषय-क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी सहायक प्रबन्धक (आरडीबीएस-सामान्य) के लिए आवेदन नहीं कर सकता.

ख) अभ्यर्थी अपनी पसंद के केवल एक पद/ विषय-क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है. ग्रेड'ए' आरडीबीएस के लिए विभिन्न विषय-क्षेत्रों अथवा विषय-क्षेत्र के भीतर अनेक आवेदनों की स्थिति में प्रस्तुत किए गए केवल अंतिम आवेदन को ही वैध माना जाएगा और अन्य सभी आवेदनों के लिए दिए गए शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा.

ग) अनारक्षित पदों के समक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता में प्रतिशत में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे. लेकिन वे आयु सीमा और शुल्क में छूट के लिए पात्र होंगे.

घ) अभ्यर्थियों के पास 01.07.2024 को अनिवार्यतः अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए. अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम टर्म/ सेमेस्टर/ वर्ष की परीक्षा का परिणाम 01.07.2024 को या उसके पहले घोषित हो चुका होना चाहिए. दूसरे शब्दों में जिन अभ्यर्थियों के अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम 01.07.2024 को या उसके बाद घोषित हुआ हो वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं.

किसी विशेष विषय-क्षेत्र में स्नातक डिग्री का अर्थ यह है कि अभ्यर्थी ने संबन्धित स्नातक पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टरों/ वर्षों में मुख्य विषय के रूप में उस विषय का अध्ययन अवश्य किया हो और इसका उल्लेख विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी स्नातक प्रमाणपत्र में निश्चित रूप से किया गया हो.

(अ) **सहायक प्रबन्धक ग्रेड 'ए' (ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा) (आरडीबीएस)**

I. शैक्षिक योग्यता:

(i) सामान्य

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी विषय में स्नातक की डिग्री में न्यूनतम 60% अंकों (अजा/ अजजा/ दिव्यांग आवेदकों के लिए 55%) के साथ **अथवा** न्यूनतम 55% अंकों (अजा/ अजजा/ दिव्यांग आवेदकों के लिए 50%) के साथ या किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए/ पीजीडीएम की डिग्री **अथवा** भारत सरकार/ यूजीसी से मान्यताप्राप्त संस्था से सीए/ सीएस/ आईसीडबल्यूए अथवा पीएचडी की डिग्री.

(ii) चार्टर्ड अकाउंटेंट

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की सदस्यता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री. आईसीएआई की सदस्यता 01-07-2024 को या उससे पहले प्राप्त की जानी चाहिए.

(iii) **वित्त**

भारत सरकार/ यूजीसी से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से बीबीए (वित्त/ बैंकिंग)/ बीएमएस (वित्त/ बैंकिंग) न्यूनतम 60% अंकों (अजा/ अजजा/ दिव्यांग आवेदकों के लिए 55%) के साथ अथवा

न्यूनतम 55% अंकों (अजा/अजजा/ दिव्यांग आवेदकों के लिए 50%) के साथ स्नातक की डिग्री के साथ में द्विवर्षीय पूर्णकालिक पीजी डिप्लोमा प्रबंधन (वित्त)/ पूर्णकालिक एमबीए (वित्त)/ एमएमएस(वित्त). अभ्यर्थियों को संस्था/विश्वविद्यालय से वित्त में विशेषज्ञता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा

<u>अथवा</u>

न्यूनतम 60% अंकों (अजा/ अजजा/ दिव्यांग आवेदकों के लिए 55%) के साथ वित्तीय और निवेश विश्लेषण में स्नातक की डिग्री

(**वांछनीय:** चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक डिग्री के साथ उम्मीदवार (सीएफए संस्थान-यूएसए), ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स (जीएआरपी) से वित्तीय जोखिम प्रबंधक (एफआरएम) की डिग्री, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन (पीआरएमआईए) से व्यावसायिक जोखिम प्रबंधक की डिग्री, ईएसजी निवेश में प्रमाण पत्र (सीएफए संस्थान-यूएसए), ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स (जीएआरपी) से स्थिरता और जलवायु जोखिम (एससीआर) प्रमाण पत्र)

(iv) <u>कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी</u>

न्यूनतम 60% अंकों के साथ (अजा / अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी 55%) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर इंजीनियरिंग / सूचना / इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन / डेटा साइंस / मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चार साल की बैचलर इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी डिग्री.

<u>अथवा</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर एप्लिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन / डेटा साइंस / मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्नातकोत्तर डिग्री 55% अंकों (अजा / अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी 50%) के साथ
या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कुल मिलाकर 60% अंकों (अजा / अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी 55%) के साथ स्नातक और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन (डीओईएसीसी) 'बी' स्तर उत्तीर्ण हो.
(वांछनीय: अभ्यर्थी ने डेटा साइंस में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया हो)

(v) **कृषि**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों (दिव्यांग अभ्यर्थी - 55%) के साथ कृषि में स्नातक की डिग्री **<u>अथवा</u>** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों (दिव्यांग अभ्यर्थी - 50%) के साथ कृषि (मृदा विज्ञान / कृषि विज्ञान) में दो साल की पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री.

(vi) **पशुपालन**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान / पशुपालन में स्नातक की डिग्री न्यूनतम 60% अंकों (दिव्यांग अभ्यर्थी - 55%) के साथ **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान / पशुपालन में स्नातकोत्तर डिग्री न्यूनतम 55% अंकों के साथ (दिव्यांग अभ्यर्थी - 50%)

(vii) **मत्स्य पालन**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 60% अंकों (अजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी 55%) के साथ मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कुल मिलाकर 55% अंकों (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदक 50%) के साथ मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री

(viii) **खाद्य प्रसंस्करण:**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण / खाद्य प्रौद्योगिकी / डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री 60% अंकों के साथ (दिव्यांग अभ्यर्थी - 55%) **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान सेखाद्य प्रसंस्करण / खाद्य प्रौद्योगिकी / डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री 55% अंकों के साथ (दिव्यांग अभ्यर्थी - 50%)

(ix) **वानिकी**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 60% अंकों के साथ वानिकी में स्नातक की डिग्री (दिव्यांग अभ्यर्थी - 55%) **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कुल 55% अंकों (दिव्यांग अभ्यर्थी - 50%) के साथ वानिकी में स्नातकोत्तर डिग्री.

(x) **पौधरोपण/बागवानी**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों (दिव्यांग अभ्यर्थी 55%) के साथ बागवानी में स्नातक की डिग्री **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों (दिव्यांग अभ्यर्थी 50%) के साथ बागवानी में स्नातकोत्तर डिग्री.

(xi) भू-सूचना विज्ञान

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से 60% अंकों के साथ भू-सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री (दिव्यांग अभ्यर्थी - 55%) **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कुल मिलाकर न्यूनतम 55% अंकों (पीडब्ल्यूबीडी आवेदक - 50%) के साथ भू-सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री.

(xii) विकास प्रबंधन

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामाजिक कार्य / ग्रामीण विकास / ग्रामीण प्रबंधन / विकास अध्ययन / विकास प्रबंधन / विकास प्रशासन / आर्थिक / विकास अर्थशास्त्र में 60% अंकों के साथ स्नातक की

डिग्री (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी 55%) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सामाजिक कार्य / ग्रामीण विकास / ग्रामीण प्रबंधन / विकास अध्ययन / विकास प्रबंधन / विकास प्रशासन / आर्थिक / विकास अर्थशास्त्र में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी 50%).

(xiii) सांख्यिकी

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / गणितीय अर्थशास्त्र / अर्थमिति / सांख्यिकी और सूचना विज्ञान / एप्लाइड सांख्यिकी और सूचना विज्ञान में 60% अंकों (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी - 55%) के साथ स्नातक की डिग्री **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / गणितीय अर्थशास्त्र / अर्थमिति / सांख्यिकी और सूचना विज्ञान / एप्लाइड सांख्यिकी और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री से कुल मिलाकर न्यूनतम 55% अंकों के साथ (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी - 50%)

(xiv) सिविल इंजीनियरिंग

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (दिव्यांग अभ्यर्थी- 55%) **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों (दिव्यांग अभ्यर्थी - 50%) के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री.

(xv) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री 60% अंकों (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थियों - 55%) के साथ **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री 55% अंकों के साथ (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थियों - 50%)

(xvi) पर्यावरणीय इंजीनियरिंग/ विज्ञान

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पर्यावरण इंजीनियरिंग / पर्यावरण विज्ञान में स्नातक की डिग्री 60% अंकों के साथ (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थियों - 55%) **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पर्यावरण इंजीनियरिंग / पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 55% अंकों के साथ (अजजा/ दिव्यांग अभ्यर्थियों - 50%)

(xvii) मानव संसाधन प्रबंधन:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक की डिग्री **और** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कार्मिक प्रबंधन / औद्योगिक संबंध / मानव संसाधन / मानव संसाधन / मानव संसाधन विकास / श्रम कानून में दो साल की पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा) 60% अंकों के साथ (एससी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदक - 55%)

(आ) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (राजभाषा)

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अथवा हिन्दी माध्यम से न्यूनतम 60% अंकों (अजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी – 55%) अथवा कुल में समकक्ष के साथ अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक की डिग्री

और

(ii) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

अभ्यर्थियों को स्नातक डिग्री कोर्स के न्यूनतम 02 वर्षों में विषयों के रूप में अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन करना चाहिए.

अथवा

कुल में न्यूनतम 60% अंकों के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री (अजा/ दिव्यांग अभ्यर्थी - 55%). अभ्यर्थियों को बैचलर डिग्री कोर्स के कम से कम 02 वर्षों में मुख्य / वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए.

अथवा

कुल में न्यूनतम 60% अंकों के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री (अजा / दिव्यांग अभ्यर्थी – 55%). अभ्यर्थियों को बैचलर डिग्री कोर्स के कम से कम 02 वर्षों में मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन करना चाहिए. अभ्यर्थियों को अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करना आना चाहिए.

नोट: सभी शैक्षणिक योग्यताएँ भारत में केंद्रीय या राज्य विधान मंडल के अधिनियम या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों/ संस्था से या यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा-3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए गए अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए.

i. कुछ विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा श्रेणी अथवा अंकों का प्रतिशत नहीं दिया जाता है और समेकित ग्रेड अंक दिए जाते हैं (जैसे सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई आदि), यदि विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा समेकित ग्रेड अंक के मानदंड वर्ग अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरण के मानदंड को परिभाषित किया गया है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा. तथापि, जहाँ विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा समेकित ग्रेड अंक को श्रेणी और/ अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरण को परिभाषित नहीं किया गया है, तो निम्न मानदंडों के अनुसार गणना की जाएगी:

10 अंक के पैमाने पर सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई के समकक्ष अथवा इसी प्रकार की पारिभाषिक अभिव्यक्तियों के अनुसार आबंटित	क्लास/ डिविजन	अंकों का कुल प्रतिशत
6.75	I (प्रथम)	**60%**
6.25	II (द्वितीय)	**55%**
5.75	II (द्वितीय)	**50%**
5.25	II (द्वितीय)	**45%**

जहाँ समेकित ग्रेड अंक अथवा अंकों का प्रतिशत दिया गया है, वहाँ इसका अर्थ पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि का समग्र ग्रेड अंक अथवा अंकों का प्रतिशत होगा.

ii. जहाँ समेकित ग्रेड अंक (सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई आदि) 10 से भिन्न किसी संख्या में से दिए गए हों, ऐसे मामलों में इससे प्राप्त अंकों में परिवर्तित कर 10 में ऊपर की मद (i) के अनुसार गणना की जाएगी.

iii. प्रतिशत की गणना: प्रतिशत अंक सभी सेमेस्टर (सेमेस्टरों) / वर्ष (वर्षों) में सभी विषयों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों को विभाजित करके सभी विषयों में अधिकतम अंकों को विभाजित करके प्राप्त किया जाएगा, चाहे ऑनर / वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो. यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां कक्षा/ग्रेड केवल ऑनर के अंकों के आधार पर तय किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को अनदेखा कर दिया जाएगा अर्थात 49.99% को 50% से कम माना जाएगा.

तकनीकी विषयों के लिए सांकेतिक भूमिकाएँ और जिम्मेदारी/कार्य की प्रकृति:

नोट: विशिष्ट विषय के अधिकारियों को बैंक की प्रशासनिक सुविधा के अनुसार अन्य कार्य सौंपा जा सकता है.

क्रम सं.	तकनीकी विषय	कौशल - सेट / कार्य की प्रकृति
1	कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी	सुरक्षा/विश्लेषिकी/डेटाबेस प्रशासन/एप्लिकेशन विकास/नेटवर्किंग/सर्वर प्रबंधन और संबंधित क्षेत्र/ डेटाबेस विश्लेषण (MySQL, Oracle, MSSQL)।
2	वित्त/ चार्टर्ड अकाउंटंट	ट्रेजरी प्रबंधन/जोखिम प्रबंधन/सार्वजनिक निर्गमों, खुदरा बांडों आदि के लिए विनियामक और/या सांविधिक अनुपालन का संचालन.
3	● कृषि ● पशुपालन ● मत्स्य पालन ● वानिकी ● खाद्य प्रसंस्करण ● वृक्षारोपण/बागवानी ● भू सूचना विज्ञान ● सिविल अभियांत्रिकी ● इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ● पर्यावरण इंजीनियरिंग /विज्ञान ● वित्त ● कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी ● विकास प्रबंधन ● मानव संसाधन प्रबंधन ● सांख्यिकी	i. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंधित क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के तहत संसाधन क्षमता की पहचान और मानचित्रण और उसके एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, ऋण सहबद्ध योजना, सेक्टोरल पेपर, स्टेट फोकस पेपर तैयार करना, आदि. ii. विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के तकनीकी-वित्तीय मापदंडों और इकाई लागतों को समय-समय पर अद्यतन करने के लिए ग्राहक संस्थानों, विशेष रूप से बैंकों और सरकारी विभागों से प्राप्त अनुरोधों को पूरा करना. iii. एकल उद्यमियों, कॉर्पोरेट्स, संस्थानों, सरकारी विभागों आदि को ऐसी सलाह लेने के लिए विशेषज्ञों के मतों, सलाहकार सेवाओं, परामर्श आदि का प्रावधान. यह डीपीआर तैयार करने, उच्च मूल्य कृषि, मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, जैविक खेती आदि जैसे नए कृषि-व्यवसाय उद्यमों के विशेष संदर्भ में तकनीकी-वित्तीय मानदंडों के मानकीकरण के संदर्भ में हो सकता है. iv. राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों को उनके अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए सहयोग प्रदान करने संपर्क करना ताकि वे जमीनी स्तर पर तकनीकी/ परिचालनात्मक समस्याओं और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के समाधान विकसित कर सकें. v. केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों, आईसीएआर और संबंधित विषयों के राज्य विश्वविद्यालयों के लाइन विभागों के साथ संपर्क। vi. संबंधित विषयों के बारे में कई सरकार प्रायोजित योजनाओं के संचालन में जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार सेवाएं. vii. नीति समर्थन के लिए राज्य/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों आदि द्वारा गठित विभिन्न तकनीकी समितियों/उप-समूहों में प्रतिनिधित्व. viii. नाबार्ड के हित के उभरते क्षेत्रों में प्रावधान और साथ-साथ आंतरिक क्षमता निर्माण और नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में संबंधित विषय से प्रावीण्य/ विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. ix. विविध क्षेत्र – प्रभावी नीति निर्माण और व्यवसाय योजनाओं के लिए सुझाव/सलाह, नाबार्ड के हित और/या भागीदारी वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन और निगरानी. प्रतिकृति के लिए सफलता की कहानियों और प्रसार प्रौद्योगिकी का दस्तावेजीकरण। तकनीकी अनुशासन से संबंधित कोई भी सहायता जो समय-समय पर मांगी जाती है।

IV. आयु (01-07-2024 को)

01.07.2024 की स्थिति के अनुसार अभ्यर्थी की आयु 21 और 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी **का जन्म 02.07.1994 से पहले और 01.07.2003 के बाद न हुआ हो.**

उच्चतर आयु सीमा में छूट : उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:

क. अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र अभ्यर्थी के लिए 03 वर्ष; और
ख. अग्रलिखित मामलों में अधिकतम 05 वर्ष तक : (i) अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी; यदि पद उनके लिए आरक्षित है; (ii) पूर्व सैनिक (एमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/ शार्ट सर्विस कमीशण्ड आफिसर्स सहित), बशर्ते अभ्यर्थी ने सशस्त्र सेना में कम से कम पाँच वर्ष लगातार सेवा की हो और उसे असाइनमेंट पूर्ण होने (इसमें वे भी शामिल हैं जिनका असाइनमेंट एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है) पर कार्यमुक्त किया गया हो, न कि कदाचार या अक्षम होने के कारण बर्खास्त या शारीरिक अक्षमता के आधार पर सेवा मुक्त, अथवा सशस्त्र सेना में सेवा के कारण उत्पन्न शारीरिक अक्षमता या अशक्त हो जाने के कारण कार्यमुक्त किया गया हो; (iii) इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/ शार्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स, जिन्होंने सशस्त्र सेना में पाँच वर्ष का अपना प्रारंभिक असाइनमेंट पूरा कर लिया हो लेकिन जिनकी असाइनमेन्ट-अवधि पाँच वर्ष से आगे बढ़ा दी गई हो और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ऐसा प्रमाणपत्र दें कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति का प्रस्ताव मिलने के 03 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा; (iv) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चे/ परिवार के सदस्य.

ग. दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) (सामान्य) अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) (अपिव) अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष और दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) (अजा/ अजजा) अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष.

नोट: जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है उसे छोड़कर **किसी भी आवेदक को आयु सीमा में संचयी छूट नहीं दी जाएगी.**

V. चयन प्रक्रिया

अ. चयन निम्नानुसार तीन चरणों में किया जाएगा:

ग्रेड ए (आरडीबीएस/ राजभाषा) के लिए प्रारंभिक परीक्षा संरचना

क्र सं	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम (वर्जन)	अवधि
1	तर्कशक्ति परीक्षा	20	20	अँग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर द्विभाषिक-हिन्दी और अँग्रेजी	सभी परीक्षाओं को मिलाकर कुल समय 120 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा	30	30		
3	कंप्यूटर ज्ञान	20	20		
4	मात्रात्मक क्षमता की परीक्षा	20	20		
5	निर्णय क्षमता	10	10		

6	सामान्य ज्ञान	20	20		
7	आर्थिक और सामाजिक मुद्दे (ग्रामीण भारत पर आधारित)	40	40		
8	कृषि और ग्रामीण विकास (ग्रामीण भारत पर आधारित)	40	40		
	कुल	**200**	**200**		**120 मिनट**

i) क्वालिफ़ाइंग सेक्शन- तर्कशक्ति परीक्षा, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर ज्ञान, मात्रात्मक क्षमता की परीक्षा और निर्णय क्षमता

ii) मेरिट सेक्शन- सामान्य ज्ञान, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे (ग्रामीण भारत पर आधारित), कृषि और ग्रामीण विकास (ग्रामीण भारत पर आधारित)

iii) मुख्य परीक्षा में **केवल मेरिट सेक्शन में प्राप्त अंकों** के आधार पर ही अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

आ. ग्रेड ए के लिए मुख्य परीक्षा की संरचना

सामान्य वर्ग के पदों के लिए मुख्य परीक्षा

प्रश्न पत्र	ग्रेड ए	प्रश्न पत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि	अभ्युक्ति
प्रश्नपत्र I	सामान्य अंग्रेजी	ऑनलाइन वर्णनात्मक उत्तर वाले प्रश्न	03	100	90 मिनट	की-बोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप कर विस्तृत उत्तर देने होंगे.
प्रश्नपत्र II	आर्थिक और सामाजिक मुद्दे तथा कृषि और ग्रामीण विकास	वस्तुनिष्ठ	30 **	50	30 मिनट	
		वर्णनात्मक उत्तर वाले प्रश्न	6 प्रश्न पूछे जाएँगे जिनमें से अभ्यर्थियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे (15 अंक वाले 2 प्रश्न) [कठिनतर प्रश्न] और 10 अंक वाले 2 प्रश्न	50	90 मिनट	विस्तृत प्रश्नों के उत्तर की-बोर्ड की सहायता से अँग्रेजी अथवा हिन्दी में टाइप कर (रेमिंग्टन और इनस्क्रिप्ट की बोर्ड) में देने होंगे.
**(कुछ प्रश्न 2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1 अंक के होंगे)						

विशेषज्ञ पद के लिए मुख्य परीक्षा

प्रश्न पत्र	ग्रेड ए	प्रश्न पत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि	अभ्युक्ति
प्रश्नपत्र I	सामान्य अंग्रेजी	ऑनलाइन विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न	03	100	90 मिनट	की-बोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप कर विस्तृत उत्तर देने होंगे.
प्रश्नपत्र II	विषय से संबंधित प्रश्न पत्र	वस्तुनिष्ठ $	30 **	50	30 मिनट	
		विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न	6 प्रश्न पूछे जाएँगे जिनमें से अभ्यर्थियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे (15 अंक वाले 2 प्रश्न) [कठिनतर प्रश्न] और 10 अंक वाले 2 प्रश्न	50	90 मिनट	विस्तृत प्रश्नों के उत्तर की-बोर्ड की सहायता से अँग्रेजी अथवा हिन्दी (रेमिंग्टन और इनस्क्रिप्ट की बोर्ड) में देने होंगे.
$ (पैराग्राफ आधारित/संख्यात्मक/एप्लिकेशन आधारित व्याख्यात्मक प्रश्न) **(कुछ प्रश्न 2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1 अंक के होंगे)						

राजभाषा के पदों के लिए मुख्य परीक्षा

प्रश्न पत्र	ग्रेड ए	प्रश्न पत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि	अभ्युक्ति
प्रश्नपत्र I	सामान्य अंग्रेजी	ऑनलाइन विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न	03	100	90 मिनट	की-बोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप कर विस्तृत उत्तर देने होंगे.
प्रश्नपत्र II	विषय से संबंधित प्रश्न	वस्तुनिष्ठ	30**	50	30 मिनट	
		विस्तृत उत्तर	6 प्रश्न पूछे			हिंदी में कीबोर्ड

	पत्र	वाले प्रश्न	जाएँगे जिनमें से अभ्यर्थियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे (15 अंक वाले 2 प्रश्न) [कठिनतर प्रश्न] और 10 अंक वाले 2 प्रश्न	50	90 मिनट	का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले वर्णनप्रधान उत्तर (रेमिंगटन / इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)
**(कुछ प्रश्न 2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1 अंक के होंगे)						

साइकोमेट्रिक टेस्ट (अनिवार्य)
बहू वैकल्पिक प्रश्न (एमसीक्यु) आधारित - 90 मिनट की अवधि

साक्षात्कार
ग्रेड ए (आरडीबीएस/ राजभाषा) - 50 अंक

अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अधिकतम 1:25 और साक्षात्कार के लिए 1:3 के अनुपात में बुलाया जाएगा. बैंक के विवेकाधिकार पर इस अनुपात को घटाया जा सकता है. ऐसे सभी अभ्यर्थी जो परीक्षा पास करते हैं और बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अंक प्राप्त करते है उन्हें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा. अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर अंक काटे जाएँगे. ***दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चरण-I और चरण-II दोनों में दंड के रूप में संबन्धित प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का ¼ अंक काट लिया जाएगा. चरण-I और चरण-II में कट-ऑफ दो चरणों में लागू होगा:- (i) प्रत्येक टेस्ट में प्राप्तांक पर, (ii) कुल प्राप्तांक पर.***

चूंकि, रिक्तियों की संख्या विषय-वार निर्धारित की गई है प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों की विषय-वार मेरिट-लिस्ट तैयार की जाएगी.

आ. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे और जो सायकोमेट्रिक टेस्ट में उपस्थित होते हैं. सहायक प्रबन्धक ग्रेड 'ए' (आरडीबीएस/ राजभाषा) के पद के लिए आवेदकों का अंतिम चयन और रैंकिंग, क्रम चरण-II मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा. यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो उनकी रैंकिंग का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :

I. कुल (मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार को मिलाकर) समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा.

II. मुख्य परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में उच्चतर अर्हता रखने वाले को, और समान अर्हता की स्थिति में स्नातक स्तर पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा. यदि फिर भी समान अंक की स्थिति बनती है तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा.

नोट: ऑनलाइन/ मुख्य परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अन्य अभ्यर्थियों से मदद लेने की संभावनाओं को रोकने के लिए बैंक मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के सही और गलत उत्तरों में एकरूपता के पैटर्न का पता लगाने के लिए उनके उत्तरों का दूसरे अभ्यर्थियों के उत्तरों से मिलान करेगा. इसके आधार पर यदि ऐसा संदेह होता है कि उत्तर एक-दूसरे को बताए गए हैं और प्राप्तांक सही/ वैध नहीं है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह संदेहास्पद अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को निरस्त कर दे. अत: अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य न करें.

VI. <u>पाठ्यक्रम</u>

सभी विषयों के लिए पाठ्यक्रम निदर्शी है परंतु सम्पूर्ण नहीं है. परीक्षा के लिए तैयारी करते समय पाठ्यक्रम को जानकारी का एकमात्र स्रोत नहीं माना जाना चाहिए. परीक्षा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी को विषय-विशेष की परिधि में आने वाले सभी मामलों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि विषय से संबंधित सभी मामलों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं. परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान/ नवीनतम सूचनाओं/ घटनाओं की अद्यतन जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उन विषयों को पाठ्यक्रम में विशेष रूप से शामिल न किया गया हो.

चरण II (मुख्य परीक्षा) के लिए निदर्शी पाठ्यक्रम निम्नानुसार नीचे दिया गया है :

<u>ग्रेड ए (आरडीबीएस) (तालिका 1 में उल्लिखित (i) से (xvii) तक और ग्रेड ए (राजभाषा) के लिए</u>

1. प्रश्नपत्र-I – अंग्रेजी: निबंध, सार लेखन, बोध परीक्षण, व्यावसायिक/ कार्यालयीन पत्राचार. अंग्रेजी भाषा का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा जिससे अभ्यर्थी की अभिव्यक्ति और विषय की समझ सहित लेखन कौशल का आकलन किया जा सके.

<u>तालिका 1 में (i) में उल्लिखित ग्रेड 'ए' (आरडीबीएस) (सामान्य) के लिए</u>

2) प्रश्नपत्र-II – आर्थिक और सामाजिक मुद्दे और कृषि और ग्रामीण विकास

आर्थिक और सामाजिक मुद्दे: भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति - ढाँचागत और संस्थागत विशेषताएँ – अर्थव्यवस्था का अल्प विकास - भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना, वैश्वीकरण – भारत में आर्थिक सुधार – निजीकरण. मुद्रा स्फीति - मुद्रा स्फीति के रुझान और उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा व्यक्तिगत आय पर प्रभाव. भारत में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन - ग्रामीण और शहरी - गरीबी का मापन – सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम. जनसंख्या रुझान – जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास – भारत में जनसंख्या नीति. कृषि – विशेषताएँ/ स्थिति – भारतीय कृषि में तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन – कृषि निष्पादन – भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे - ग्रामीण ऋण में गैर संस्थागत और संस्थागत एजेंसियाँ. उद्योग – औद्योगिक और श्रम नीति – औद्योगिक निष्पादन – भारत में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन – सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम. भारत में ग्रामीण बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएँ – बैंकिंग/ वित्तीय क्षेत्र में सुधार. अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण – अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण

संस्थाओं की भूमिका – अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका – क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग. भारत में सामाजिक ढाँचा – बहुसंस्कृतिवाद – जनसांख्यिकीय रुझान – शहरीकरण और प्रवासन – संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में लैंगिक समानता मुद्दे – सामाजिक आधारभूत ढाँचा – शिक्षा – स्वास्थ्य और पर्यावरण. शिक्षा – शिक्षा की स्थिति और प्रणाली – निरक्षरता से जुड़ी सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ – शिक्षा की प्रासंगिकता और अनुपयोगी शिक्षा – भारत के लिए शिक्षा नीति. सामाजिक न्याय - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक – आर्थिक कार्यक्रम - विकास के लाभों से वंचित वर्गों के पक्ष में सकारात्मक पक्षधरता – सामाजिक आंदोलन – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था – मानव विकास. वर्तमान आर्थिक और सामाजिक मुद्दे.

कृषि और ग्रामीण विकास:

कृषि – परिभाषा, अर्थ और उसकी शाखाएँ, कृषि विज्ञान: परिभाषा, अर्थ और दायरा. खेतों की फसलों का वर्गीकरण. फसलोत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक; कृषि जलवायु क्षेत्र; फसल प्रणालियाँ - परिभाषा और प्रकार; शुष्क भूमि कृषि की समस्याएँ; बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण और बीज ग्राम; मौसम विज्ञान: मौसम के मानदंड, फसल - मौसम सूचना/ सलाह; प्रिसीज़न फार्मिंग, फसल सघनीकरण की प्रणाली, जैविक कृषि.

(क) मृदा और जल संरक्षण: मृदा के मुख्य प्रकार, मृदा की उर्वरता, उर्वरक, मृदा क्षरण, मृदा संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन.

(ख) जल संसाधन: सिंचाई प्रबंधन: सिंचाई के प्रकार, सिंचाई के स्रोत, फसल - जल आवश्यकता, कमान क्षेत्र विकास, जल संरक्षण तकनीकें, सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई पंप, बृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई.

(ग) फार्म और कृषि अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग): फार्म मशीनरी और ऊर्जा, फार्म पर ऊर्जा के स्रोत - मानव ऊर्जा, पशु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, जल संचयन संरचनाएँ, फार्म तालाब, वाटरशेड प्रबंधन, कृषि प्रसंस्करण, नियंत्रित और आशोधित भंडारण, नश्य खाद्य का भंडारण, गोदाम, बिन और अनाज की कोठी.

(घ) पौधारोपन और बागबानी: परिभाषा, अर्थ और शाखाएँ, विविध उद्यान और उद्यानिकी फसलों की कृषि वैज्ञानिक प्रथाएँ और उत्पादन प्रौद्योगिकी; उद्यानिकी फसलों का फसलोत्तर प्रबंधन, मूल्य और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन.

(ङ) पशुपालन: खेती में काम आने वाले पशु और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका, भारत में पशुपालन पद्धतियाँ, पशुधन की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित सामान्य पारिभाषिक शब्द, पशु-प्रजाति का उपयोगिता-आधारित वर्गीकरण, सामान्य पशुखाद्य और चारा-वर्गीकरण और उपयोगिता.

भारत में पोल्ट्री उद्योग का परिचय (भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति), पोल्ट्री उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित सामान्य पारिभाषिक शब्द, मिश्रित फार्मिंग की अवधारणा और भारत के किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में इसका महत्व, कृषि फार्मिंग के साथ पशुधन और पोल्ट्री उत्पादन का पूरक और अनिवार्य घटक होना.

(च) *मत्स्यपालन:* मत्स्यपालन संसाधन, प्रबंधन और दोहन - फ्रेशवॉटर, ब्रैकिश वाटर और मरीन; *जलचरपालन* - इनलैण्ड और मरीन; बायोटेक्नोलॉजी; पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. भारत में मत्स्यपालन का महत्व; मत्स्योत्पादन से संबंधित सामान्य पारिभाषिक शब्द.

(छ) *वानिकी:* वन और वानिकी की मूलभूत अवधारणाएँ. सिल्विकल्चर (वन वृक्ष विज्ञान), वन क्षेत्रमिति, वन प्रबंधन और वन अर्थशास्त्र के सिद्धांत; सामाजिक वानिकी, कृषि-वानिकी, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणाएँ; भारत में वन नीति और विधायन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत हाल के घटनाक्रम.

(ज) *कृषि-विस्तार:* महत्व और भूमिका, विस्तार-कार्यक्रमों के मूल्यांकन की पद्धतियाँ, कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका.

(झ) *पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन:* पर्यावरण विज्ञान और मनुष्य के लिए इसका महत्व, प्राकृतिक संसाधन तथा उनका संधारणीय प्रबंधन और संरक्षण; जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्रीन हाउस गैसें (जीएचजी); ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जक मुख्य देश, जलवायु विश्लेषण; अनुकूलन और शमन में अंतर; कृषि और ग्रामीण आजीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव; कार्बन क्रेडिट, आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी, सीओपी बैठकें, जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण तंत्र, भारत सरकार, एनएपीसीसी, एसएपीसीसी, आईएनडीसी द्वारा पहले किए गए प्रयास.

(ञ) भारतीय कृषि और संबद्ध गतिविधियों का वर्तमान परिदृश्य; हालिया रुझान, कृषि की व्यवहार्यता बढ़ाने संबंधी उपायों, कृषि में मौजूद प्रमुख चुनौतियाँ. कृषि में उत्पादन संबंधी पहलू; कृषि वित्त और विपणन; भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; कृषि प्रबंधन की संकल्पनाएँ और प्रकार.

ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्र की अवधारणा; भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना-महत्व; भारत में ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएँ; ग्रामीण पिछड़ेपन के कारण.

भारत की ग्रामीण आबादी; ग्रामीण भारत की व्यावसायिक संरचना, किसान, खेतिहर मजदूर, कारीगर, हस्तशिल्पी, व्यापारी, वनवासी/ आदिवासी और अन्य; ग्रामीण आबादी और श्रमशक्ति में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ; ग्रामीण श्रमिकों की समस्याएँ और स्थितियाँ; हथकरघा क्षेत्र - समस्याएँ और चुनौतियाँ.

पंचायती राज संस्थाएँ – कार्य और कार्यपद्धति. मनरेगा, एनआरएलएम - आजीविका; ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम; स्वच्छ भारत, ग्रामीण आवास; पीयूआरए और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम.

नोट: मुख्य परीक्षा का निदर्शी पाठ्यक्रम-ग्रेड ए (आरडीबीएस) के लिए प्रश्नपत्र II - तालिका 1 में क्रम सं. (ii) से (xvii) में उल्लिखित ग्रेड 'ए' (आरडीबीएस) विशेषज्ञता वाले विषय-क्षेत्रों के लिए और ग्रेड ए (राजभाषा) के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.

VII. अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण

बैंक, अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन नि:शुल्क परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है. **अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कराते समय संबंधित कॉलम में अपना विवरण भरें.** बाद में किए गए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. अन्य किसी भी प्रकार से किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा से पहले परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा. इस प्रशिक्षण की नियत तारीख, समय इत्यादि के बारे में अभ्यर्थियों को आवेदन में दिए गए अभ्यर्थियों के ई-मेल पर सूचित किया जाएगा. **प्रशिक्षण का आयोजन पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त होने की शर्त के अधीन होगा.** (नोट : पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त होने पर ही हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाएगा). भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने भर से किसी भी अभ्यर्थी को नाबार्ड में चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है.

VIII. परीक्षा केन्द्र

अ. चरण I– (प्रारंभिक परीक्षा): चरण I के लिए होने वाली ऑन लाइन परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी.

क्रम सं.	राज्य	केन्द्र
1	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
2	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, गुंटूर/विजयवाड़ा, कडपा, कर्नूल, नेल्लोर, राजमंद्री, विशाखापट्टणम, तिरुपति, काकीनाड़ा, विजयनगरम
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन
4	असम	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर
5	बिहार	आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया
6	चंडीगढ़	चंडीगढ़-मोहाली
7	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायपुर
8	गोवा	पणजी
9	गुजरात	अहमदाबाद/गांधीनगर, आणंद, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा
10	हरियाणा	हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, अंबाला
11	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, शिमला, सोलन, मंडी, कांगडा
12	जम्मू और कश्मीर	सांबा, जम्मू, श्रीनगर
13	झारखंड	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची
14	कर्नाटक	बेंगलूरु, बेलगांव, हुबली-धारवाड़, हासन, गुलबर्गा, मंगलूर, मैसूर, शिमोगा, उडपी
15	केरल	अलप्पुज़ा, एर्णाकुलम/कोची, कन्नूर, कोट्टायम, कोजीकोडे, पालक्काड, त्रिचूर, तिरूवनंतपुरम, कोल्लम
16	मध्य प्रदेश	उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना
17	महाराष्ट्र	छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), अमरावती, कोल्हापुर, मुंबई/ नवी मुंबई/ ठाणे/ एम एम आर, नागपुर, नांदेड, नासिक, पुणे, चंद्रपुर, सोलापुर, धुले, रत्नागिरी

क्रम सं.	राज्य	केन्द्र
18	मणिपुर	इम्फाल
19	मेघालय	शिलांग
20	मिजोरम	आयजॉल
21	नागालैण्ड	कोहिमा
22	नई दिल्ली	दिल्ली- एनसीआर
23	ओडिशा	बालासोर, बरहमपुर (गंजाम), भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, ढेंकानल, राउरकेला
24	पुदुचेरी	पुदुचेरी
25	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला
26	राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर
27	सिक्किम	गान्तोक – बर्दांग
28	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबतूर, मदुराई, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनलवेल्ली, वेल्लूर, इरोड, विरुधुनगर
29	तेलंगाणा	हैदराबाद / सिकंदरबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, महबूबनगर
30	त्रिपुरा	अगरतला
31	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फ़ैज़ाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुझफ्फरनगर, नोएडा, वाराणसी
32	उत्तराखंड	रुड़की, देहरादून, हलद्वानी
33	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, दुर्गापुर, हुगली, कल्याणी, कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी

नोट:

1. अभ्यर्थियों को प्रेषित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी. कृपया अपने परीक्षा केंद्र को ध्यान से देख लें क्योंकि संभव है कि कार्यालयीन सुविधा के लिए केंद्र में परिवर्तन किया गया हो.
2. परीक्षा केन्द्र/ स्थान/ तारीख/ परीक्षा सत्र में बदलाव हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.
3. तथापि, नाबार्ड के पास प्राप्त प्रतिसाद, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर किसी परीक्षा केन्द्र को रद्द करने का और/ अथवा अन्य केन्द्रों के नाम जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है.
4. अभ्यर्थियों को उनके चुने हुए केन्द्रों से इतर अन्य केन्द्र आबंटित करने का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित है.
5. अभ्यर्थियों को अपने जोखिम और व्यय पर परीक्षा में भाग लेने हेतु परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना होगा और नाबार्ड उन्हें किसी भी प्रकार की चोट अथवा हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
6. केंद्र के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

यदि 'ऑन-लाइन' परीक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा किसी केन्द्र का चयन नहीं किया जाता है तो उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को समीपवर्ती केन्द्र आबंटित करने का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित है अथवा यदि किसी ऑन-लाइन परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या उस केंद्र की क्षमता से अधिक होती है तो अभ्यर्थियों को कोई भी अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित है.

यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है तो सभी सत्रों में प्रयुक्त विभिन्न टेस्ट बैटरियों के कठिनाई स्तर के मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के स्कोर को समान स्तर पर लाया जाएगा. यदि किसी केन्द्र या किसी अभ्यर्थी के लिए नोड्स की क्षमता कम है या कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न होता है तो परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाएगी.

आ. चरण II (मुख्य परीक्षा) और चरण III (सायकोमेट्रिक टेस्ट)

चरण II के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित केन्द्रों पर किया जाएगा.

केन्द्रों के नाम	
अहमदाबाद/ गांधीनगर	कोलकाता
बंगलुरु	लखनऊ
भोपाल	मुंबई/ नवी मुंबई / ठाणे / एम एम आर
भुवनेश्वर	दिल्ली – एनसीआर
चंडीगढ़ – मोहाली	पटना
चेन्नै	पुणे
गुवाहाटी	रायपुर
हैदराबाद/ सिकंदरबाद	राँची
जयपुर	शिलांग
जम्मू	तिरुवनंतपुरम
श्रीनगर	-

चरण-II/ चरण III की परीक्षा की प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग बुलावा-पत्र जारी किया जाएगा.

इ. उक्त में से कुछ केन्द्रों पर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा. साक्षात्कार के संबंध में सूचना बुलावा पत्र में दी जाएगी.

नोट: अभ्यर्थी चरण I के लिए सिर्फ एक केन्द्र तथा चरण II के लिए अलग से एक केन्द्र का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन में अपनी पसंद के केन्द्रों के बारे में अनिवार्यतः निर्दिष्ट करें. अभ्यर्थियों द्वारा चरण I और चरण II/ चरण III की परीक्षा के लिए चयन का केन्द्र भिन्न हो सकता है और ऑनलाइन आवेदन में इस बारे में अवश्य निर्दिष्ट किया जाए. अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के आधार पर नाबार्ड द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए केन्द्रों की संख्या के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. किसी केन्द्र पर परीक्षा रद्द किए जाने की स्थिति में नाबार्ड अपने विवेक से संबंधित अभ्यर्थियों को किसी वैकल्पिक केन्द्र का आबंटन करेगा.

अभ्यर्थियों द्वारा चरण I और चरण II/ चरण III की ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपयुक्त समय पर बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.nabard.org में प्रदान किए गए लिंक से प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर लेना चाहिए. प्रवेश पत्र के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

परीक्षा संचालित करने के दौरान कुछ समस्या घटित होने की संभावना से पूर्ण रूप से इंकार नहीं किया जा सकता जिसके कारण टेस्ट डिलीवरी और/अथवा परिणाम प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में समस्या को सुधारने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्रों पर भेजना अथवा आवश्यकतानुसार नए सिरे से परीक्षा संचालित करना शामिल है. इस संबंध में नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा. जो अभ्यर्थी इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, वे परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता से वंचित हो जाएँगे.

IX. आवेदन शुल्क (गैर वापसी योग्य)

पद के लिए आवेदन शुल्क (लागू जीएसटी को छोड़कर) निम्नानुसार होगा:

(राशि रु. में)

आवेदक की श्रेणी	आवेदन शुल्क	सूचना प्रभार आदि	कुल
अजा/अजजा/ दिव्यांग	शून्य	रु.150/-	रु.150/-*
अन्य सभी	रु.700/-	रु.150/-	रु.850/-*
स्टाफ @	@	@	@

* लागू जीएसटी को छोड़कर

@ शैक्षिक अर्हता मानदंड पूरे करने वाले नाबार्ड के सभी कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे. उन्हें ऊपर निर्दिष्ट शुल्क/ सूचना प्रभार का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के समय करना होगा जिसकी प्रतिपूर्ति शुल्क की रसीद प्रस्तुत करने पर केवल नाबार्ड के उन्हीं कर्मचारियों (स्टाफ अभ्यर्थी) को की जाएगी जो पद के लिए पात्रता मानदंड पूरा करते हों. स्टाफ अभ्यर्थी के रूप में स्थिति को साक्षात्कार के समय सत्यापित किया जाएगा.

X. परिलब्धियाँ और सेवा-शर्तें

(क) वेतनमान: चयनित अधिकारी ग्रेड 'ए' में अधिकारियों को लागू रु. 44,500-2500(4) – 54500- 2850(7)-74450- दक्षता रोध – 2850(4) – 85850-3300(1)-89150 (17 वर्ष) के वेतनमान में प्रारंभिक मूल वेतन रु.44,500/- प्रति माह होगा और वे समय-समय पर लागू महँगाई भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता, आवास किराया भत्ता और ग्रेड भत्ता हेतु पात्र होंगे. वर्तमान में प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियाँ लगभग रु.1,00,000/- प्रति माह होंगी.

(ख) अनुलाभ : पात्रता के अनुसार उपलब्धता के अधीन बैंक आवास, कार्यालयीन उद्देश्य हेतु रखे गए वाहन के रखरखाव हेतु व्ययों की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, इंटरनेट, टेलिफोन प्रभार, पुस्तक अनुदान, आवास की साज-सज्जा हेतु भत्ता आदि दिए जाएँगे. पात्रता के अनुसार बाहरी उपचार/ अस्पताल में भर्ती होने संबंधी चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ नि:शुल्क डिस्पेंसरी सुविधा प्रदान की जाएगी. ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, अवकाश यात्रा रियायत छुट्टी किराया सुविधा, कार, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटर आदि हेतु रियायती दरों पर ऋण और अग्रिम आदि.

(ग) पद हेतु चयनित अभ्यर्थी **ग्रेच्यूटी और समूह-बीमा के लाभों के साथ-साथ 'निर्धारित अंशदायी नई पेंशन योजना (एनपीएस)'** से संचालित होंगे.

(घ) कुछ केन्द्रों पर सीमित आवासीय क्वार्टर उपलब्ध हैं. तथापि, सभी केन्द्रों पर पट्टे पर आवासीय मकान लेने की सुविधा उपलब्ध है.

(ङ) चयनित अभ्यर्थी की प्रारंभिक नियुक्ति 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होगी, जिसे बैंक अपने विवेक के आधार पर आगे अधिकतम और एक वर्ष तक बढ़ा सकता है.

(च) नियुक्ति हेतु चयनित सभी अभ्यर्थी भारत में किसी भी स्थान पर पदस्थापित और स्थानांतरित किए जा सकते हैं.

XI. आवेदन कैसे करें :

पात्र अभ्यर्थी हमारी वेबसाइट **www.nabard.org** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें. किसी अन्य माध्यम/प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. आवेदन फार्म केवल अंग्रेजी में भरे जाएँ. हिन्दी के उपयोग का विकल्प ऑन लाइन/ मुख्य परीक्षा/ साक्षात्कार के समय उपलब्ध रहेगा.

विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रक्रिया

क. आवेदन पंजीकरण

ख. आवेदन शुल्क भुगतान

ग. फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करना

अभ्यर्थी 27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 के दौरान केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अन्य किसी भी माध्यम से किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पंजीकरण करने से पूर्व नोट करने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी :

i. स्कैन करें

अपना फोटोग्राफ (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)

हस्ताक्षर (काली स्याही से)

बाएं हाथ के अंगूठे के इंप्रेशन (सफ़ेद कागज़ पर काली अथवा नीली स्याही से)

हस्तलिखित घोषणा (सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से) (विषय-वस्तु निम्नानुसार) यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापन में दिए निर्देशानुसार इन सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करते समय अपेक्षित विनिर्देशों का पालन किया जाता है.

ii. कैपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे.

iii. बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन ठीक से स्कैन किया हुआ होना चाहिए और फैला हुआ धुंधला नहीं होना चाहिए. (यदि अभ्यर्थी का बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता/ सकती है).

iv. हस्तलिखित घोषणा की विषय-वस्तु निम्नानुसार होगी –"मैं... (अभ्यर्थी का नाम) इसके साथ यह यह घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन फॉर्म में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है. जब भी आवश्यक हो मैं सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करूंगा/ करूंगी."

v. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा-पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा केवल अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए. यदि घोषणा-पत्र किसी और व्यक्ति द्वारा लिखा और अपलोड किया जाता है अथवा किसी अन्य भाषा में है तो आवेदन को अवैध माना जाएगा. (दृष्टि बाधित अभ्यर्थी जो लिख नहीं सकते वे विषय-वस्तु को टाइप करवा सकते हैं और टाइप की घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ को अपलोड करवा सकते हैं).

vi. अपेक्षित आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभारों के ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक विवरणों/ दस्तावेज़ों को तैयार रखें.

vii. अभ्यर्थी के पास वैध ई-मेल आईडी व मोबाइल नंबर होना चाहिए और जिसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक परिचालन में रखना होगा. बैंक द्वारा अभ्यर्थियों कॉल लेटर डाऊनलोड करने/ बायो-डाटा आदि अपलोड करने संबंधी सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजी जा सकती है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध ई-मेल आईडी न हो, तो वह आवेदन करने से पहले एक नया ई-मेल आईडी बनाए व नया मोबाइल नंबर लें और इन्हें अवश्य मेन्टेन करें.

क. **आवेदन का पंजीकरण** : ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी

i. अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करें और यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दोनो “फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों” में दिए गए अपेक्षित विनिर्देशों के अनुसार हैं.

ii. अभ्यर्थी के पास वैध ई-मेल आईडी व मोबाइल नंबर होना चाहिए और जिसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक परिचालन में रखना होगा. बैंक द्वारा अभ्यर्थियों को कॉल लेटर डाऊनलोड करने/ बायो-डाटा आदि अपलोड करने संबंधी सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजी जा सकती है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध ई-मेल आईडी न हो, तो वह आवेदन करने से पहले एक नया ई-मेल आईडी बनाए व नया मोबाइल नंबर लें और इन्हें अवश्य मेन्टेन करें.

iii. मुख्य परीक्षा और उसके बाद परीक्षा केंद्र पर पहचान के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए तैयार रहें.

आवेदन प्रक्रिया

- अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट 'www.nabard.org/career' पर जाकर **'एप्लाय ऑनलाइन'** विकल्प पर क्लिक करें जिससे नया स्क्रीन खुलेगा.
- आवेदन पंजीकरण हेतु **'क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन'** टैब का चयन करें और अपने नाम, संपर्क विवरण व ई-मेल आई-डी की प्रविष्टि करें. सिस्टम द्वारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड जेनरेट होगा जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. अभ्यर्थी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड को नोट करें. साथ ही अभ्यर्थी को इस संबंध में प्रोविजनल पंजीकरण नंबर और पासवर्ड ई-मेल व मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
- अभ्यर्थी द्वारा एक बार में समग्र डाटा नहीं भर पाने की स्थिति में, वह पहले से ही भरे गए डाटा को **'सेव एण्ड नेक्स्ट '** टैब को सेलेक्ट कर सेव कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदनपत्र में भरे गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए **'सेव एण्ड नेक्स्ट'** टैब की सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन भी करें. दृष्टि बाधित अभ्यर्थी आवेदनपत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले उसमें भरे गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करें/ करवाएँ.
- चूँकि एक बार **'फाइनल सबमिट बटन'** क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन को ध्यानपूर्वक भरें और उसमें भरे गए विवरणों की सत्यता स्वयं सुनिश्चित करें.

- अभ्यर्थी का नाम या उसके पिता/ पति का नाम सही रूप लिखा जाना चाहिए जैसा कि अभ्यर्थी के प्रमाणपत्र/ अंकपत्र तथा परीक्षा के लिए लाए गए मान्य आईडी में लिखा गया है. किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ संशोधन के पाए जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जा सकता है.
- अभ्यर्थी 'वैलिडेट योर डिटेल्स' पर क्लिक कर अपने विवरण को वैलिडेट करें और 'सेव एन्ड नेक्स्ट' पर क्लिक कर अपने आवेदनपत्र को सेव करें.
- बिंदु 'सी' में फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को अपलोड करने से संबन्धित विनिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी अपने फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को अपलोड करें.
- अभ्यर्थी आवेदनपत्र के अन्य विवरण भरें.
- आवेदनपत्र को 'फाइनल सबमिट' करने से पहले समग्र आवेदनपत्र को देखने और सत्यापन करने हेतु 'प्रिव्यू' टैब को क्लिक करें.
- यदि आवश्यक हो तो, आवेदन में संशोधन करें और समग्र आवेदनपत्र को देख कर और सत्यापित कर तथा फोटोग्राफ, हस्ताक्षर को अपलोड करने के बाद तथा आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करने के बाद ही 'फाइनल सबमिट' को क्लिक करें.
- 'पेमेन्ट' टैब को क्लिक करें तथा भुगतान के लिए आगे बढ़ें.
- 'सबमिट' बटन को क्लिक करें.

<u>आवेदन शुल्क का भुगतान - ऑनलाइन मोड</u>

- आवेदनपत्र को पेमेन्ट गेटवे से जोड़ा गया है और निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण करते हुए शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
- मास्टर/ वीज़ा/ रुपे डेबिट/ क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग, आइएमपीएस, कैश कार्ड/ मोबाइल वैलेट के माध्यम से स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी देकर भुगतान किया जा सकता है.
- ऑनलाइन आवेदनपत्र में भुगतान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के बाद सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें. दोहरे भुगतान से बचने हेतु 'बैक' या 'रिफ्रेश' बटन को क्लिक न करें.
- ट्रान्जेक्शन के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद **'ई-रिसीट'** जेनरेट होगी.
- **'ई-रिसीट'** जेनरेट नहीं होना यह दर्शाता है कि भुगतान पूरा नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड से **पुनः लॉग-इन** कर भुगतान करना होगा.
- अभ्यर्थियों को **ई-रिसीट और ऑनलाइन आवेदनपत्र का प्रिंट-आउट** निकालकर अपने पास रखना होगा. **<u>कृपया यह नोट करें कि यदि ई-रिसीट और ऑनलाइन आवेदनपत्र जेनरेट नहीं होता है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को पूर्ण नहीं माना जाएगा.</u>**
- क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए: सभी भुगतान भारतीय मुद्रा में दिए गए हैं. यदि आप गैर भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते है तो आपका बैंक प्रचलित विनियम दरों के अनुसार स्थानीय मुद्रा में रूपांतरण करेगा.
- अपने डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद कृपया 'ब्राउजर विन्डो' को बंद कर दें.

ख. आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार (वापस नहीं किया जाएगा)

आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा तथा इसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा. आवेदन शुल्क/सूचना प्रभारों के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेन-देन संबंधी प्रभारों का वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा.

ग. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन तथा अपलोड करना

- फोटोग्राफ में चेहरा और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदनपत्र अस्वीकार किया जा सकता है.
- ऐसे मामलों में अभ्यर्थी आवेदनप्रत्र को एडिट करें और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पुन: अपलोड करें.

फोटोग्राफ इमेज

- नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ.
- फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए और हल्के रंग, अधिमानत: सफेद रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया होना चाहिए.
- सहज मुद्रा में कैमेरे की ओर सीधे देखें.
- यदि खुली रोशनी में तस्वीर ली जा रही है तो, सूरज की तरफ अपनी पीठ करके खड़े हों अथवा किसी शेड (छाजन) के नीचे खड़े हों जिससे आपकी आंखें बंद हुई न हों और कोई गहरी छाया न हो.
- अगर फ्लैश का उपयोग करना है तो यह सुनिश्चित करें कि 'रेडआई' न हो.
- यदि आप चशमा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है व आंखें स्पष्ट दिख रही हों.
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चशमे स्वीकार्य नहीं हैं. धार्मिक हेडवियर की अनुमति है परन्तु इससे आपका चेहरा कवर नहीं होना चाहिए.
- डाइमेंशन्स 200 x 230 पिक्सल्स (अधिमानत:)
- फाइल साइज 20 केबी से 50 केबी तक हो.
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन्ड इमेज 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाइल 50 केबी से अधिक हो तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को समायोजित करें.

- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित आकार का फोटो अपलोड किया जाए और उसमें चेहरा स्पष्ट रूप से देखाई देता हो.

- अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया जाता है. **यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर उचित रूप से अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में सहभागी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.**

हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का इंप्रेशन और हस्तलिखित घोषणा-पत्र का इमेज

- अभ्यर्थी को सफेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करने होंगे.
    - आकार 140x60 पिक्सल्स (अधिमानत:)
    - हस्ताक्षर के लिए फाइल साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए और अंगूठे के इंप्रेशन के लिए 20 से 50 केबी होना चाहिए.
    - यह सुनिश्चित करें कि स्कैन्ड इमेज की साइज 20 केबी से अधिक न हो.
- अभ्यर्थी को सफ़ेद कागज पर काली अथवा नीली स्याही से अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन देना होगा.
    - फ़ाइल का प्रकार : जेपीजी/ जेपीईजी
    - आकार : 200 डीपीआई में 240X 240 पिक्सल्स (अपेक्षित गुणवत्ता के लिए अधिमानित) अर्थात् 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * लंबाई)
    - फ़ाइल का आकार : 50 केबी – 100 केबी
- हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन और हस्तलिखित घोषणा-पत्र अभ्यर्थी द्वारा ही किए जाएँ, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा.
- यदि उपस्थिति पत्र अथवा बुलावा पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, परीक्षा के समय किए गए हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं तो अपात्र घोषित किया जा सकता है.
- बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में किए गए हस्ताक्षर और लिखा गया घोषणा-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करना

- स्कैनर न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट पर इंच) पर सेट करें.
- कलर को 'ट्रू' कलर में सेट करें.
- फाइल साइज उपर्युक्त विनिर्देशों के अनुसार हो.
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर के अंतिम सिरे तक स्कैनर में इमेज को क्राप करें और उसके बाद (उपर्युक्त विनिर्देशों के अनुसार) अपलोड एडिटर का उपयोग कर इमेज को क्राप कर उसे अंतिम आकार दें.
- फाइल की इमेज जेपीजी/ जेपीईजी फार्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के रूप में – फाइल का नाम है: इमेज01.जेपीजी या इमेज 01.जेपीईजी इमेज डायमेंशनस की जांच फोल्डर फाइलों की लिस्टिंग या फाइल इमेज आइकोन पर माउस को घुमा कर की जा सकती है.

- एमएस-विन्डो / एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर के माध्यम से अधिकतम क्रमश: 50 केबी और 20 केबी के फोटोग्राफ व हस्ताक्षर आसानी से जेपीईजी फार्मेट में प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी फार्मेट में स्कैन्ड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को फाइल मेनू में `सेव ऐज` के विकल्प का उपयोग कर `सेव` किया जा सकता है और `क्राप' का उपयोग कर उसके आकार को 50 केबी से कम (फोटोग्राफ) और 20 केबी (हस्ताक्षर) तक कम किया जा सकता है. {कृपया पिक्सल साइज हेतु इमेज मेनू में उक्तानुसार बिन्दु (i) और (ii) देखें)}. अन्य फोटो एडिटर में भी इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं.

यदि फाइल साइज और फार्मेट यथा–निर्दिष्ट रूप में नहीं होंगे तो एरर मेसेज दिखाई देगा.

ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु लिंक दिया जाएगा.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे के इंप्रेशन और हस्तलिखित घोषणा-पत्र को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक दिए जाएंगे.
- ` फोटोग्राफ/ सिग्नेचर/ अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन/ हैंड रिटन डेक्लारेशन`को अपलोड करने के लिए संबंधित लिंक को क्लिक करें.
- जहाँ पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे के इंप्रेशन और हस्तलिखित घोषणा-पत्र की फाइल `सेव` की गई है उसे ऑन लाइन ब्राऊज करें और सेलेक्ट करें.
- उस पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करें.
- **'ओपन/ अपलोड'** बटन को क्लिक करें.
- यदि फ़ाइल का आकार और फॉर्मेट अपेक्षा के अनुसार नहीं है तो एरार मेसेज दिखाई देगा.
- अपलोड किए गए इमेज का प्रीव्यू देखने से इमेज की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है. यदि इमेज स्पष्ट न हो/ उस पर दाग लेगे हुए हो, तो अपेक्षित स्पष्टता/ गुणवत्ता प्राप्त होने तक उसे पुनः अपलोड किया जाए.

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक आप यथानिर्दिष्ट रीति से फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे के इंप्रेशन और हस्तलिखित घोषणा-पत्र अपलोड नहीं करते हैं.

XII. आवेदनपत्र भरने संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

i. अभ्यर्थी केवल एक पद अर्थात सामान्य विषय-क्षेत्र अथवा विशेष विषय-क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है. यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायक प्रबन्धक (आरडीबीएस) – सामान्य के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी अन्य विषयों के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और इसके विपरीत. इसी प्रकार सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी अन्य विषयों के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और इसके विपरीत.

ii. अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए. यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध ई-मेल आईडी न हो, तो वे आवेदन करने से पहले एक नया ई-मेल आईडी बनाएँ. ई-मेल आईडी भर्ती प्रक्रिया के दौरान वैध रहना चाहिए. बैंक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक अभ्यर्थियों को पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ही सारा पत्राचार किया जाएगा.

iii. अभ्यर्थियों को नाबार्ड की वेबसाइट पर एक ‘इन्फोर्मेशन हैण्डआउट’ पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी जिसे ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र के साथ डाउनलोड किया जा सकता है.

iv. सरकारी/ अर्धसरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से `अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा. अनापत्ति प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा.

v. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपना मूल जाति/ अन्य संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों को साक्षात्कार के समय भारत सरकार द्वारा 01-04-2024 को अथवा इसके बाद का नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ जारी किया गया अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा

vi. **ऑनलाइन आवेदन और/ या फीस के भुगतान में किसी भी कठिनाई के मामले में अभ्यर्थी http://cgrs.ibps.in/ पर "कॅन्डीडेट ग्रीवान्स लॉजिंग एण्ड रिड्रेसल मैकेनिज्म" को ईमेल प्रेषित कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.**

XIII. कदाचार का दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थियों को उनके हित में चेतावनी दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय कोई ऐसा विवरण न दें जो झूठा, हेर-फेर किया हुआ / मनगढ़ंत हो और न ही किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाएँ.

ऑनलाइन परीक्षा/ साक्षात्कार के समय यदि अभ्यर्थी को निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है – (i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग, या (ii) किसी अन्य व्यक्ति के नाम से परीक्षा देना अथवा अपने नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बिठाना, या (iii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना (iv) चयन हेतु अपनी अभ्यर्थिता के लिए अनियमित अथवा अनुचित तरीके अपनाना, या (v) अनुचित माध्यम से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करना; तो अभ्यर्थी स्वयं को आपराधिक अभियोजन का भागी बनाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्रवाई के लिए भी पात्र होगा:

उसने जिस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उसके लिए **अयोग्य** माना जाएगा,

नाबार्ड द्वारा संचालित की जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा भर्ती से, उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए **प्रतिबंधित** किया जाएगा, और

यदि अभ्यर्थी पहले ही बैंक की सेवा में आ भी चुका है तो उसे सेवा से **बरखास्त कर** दिया जाएगा.

XIV. सामान्य अनुदेश

1. बुलावा पत्र को डाउनलोड करना

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा (चरण I, चरण II और चरण III) हेतु बुलावा पत्र को डाउनलोड करने के लिए नाबार्ड की वेबसाइट पर जाना होगा. बुलावा पत्र को डाउनलोड करने से संबंधी सूचना ई-मेल/ एसएमएस से भी भेजी जाएगी. अभ्यर्थी द्वारा एक बार संबंधित लिंक को क्लिक करने के बाद, वे बुलावा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं. इस हेतु अभ्यर्थी को (i) पंजीकरण संख्या/ रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/ जन्म तारीख का उपयोग करना होगा.

अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ विशेषकर जो उसने पंजीकरण के दौरान दिया है, बुलावा पत्र पर चिपकाना होगा और परीक्षा केन्द्र पर (i) कॉल लेटर, (ii) खंड 3 में यथानिर्धारित पहचानपत्र के रूप में मूल पहचानपत्र के साथ उपस्थित होना होगा.

2. **अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करने का समय**

बुलावा पत्र में परीक्षा हेतु इंगित समय परीक्षा शुरू होने से पहले का है. अभ्यर्थियों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन व संग्रहण, लॉग-इन, अनुदेश देने आदि के लिए परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा अवधि से लगभग एक घन्टा अधिक समय तक रहना होगा.

3. **पहचान का सत्यापन**

प्रत्येक शिफ्ट के लिए परीक्षा भवन के साथ-साथ साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा बुलावा पत्र सहित अपना वैध पहचानपत्र मूल रूप में निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. पहचानपत्र में – पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लायसन्स/ वोटर कार्ड/ फोटोग्राफ सहित बैंक की पासबुक/ गेजेटेड अधिकारी द्वारा कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी किया गया पहचानपत्र/ जनप्रतिनिधि द्वारा कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी किया गया पहचानपत्र/ मान्यताप्राप्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय द्वारा वैध पहचानपत्र/ फोटोग्राफ सहित आधार/ ई आधार कार्ड/ कर्मचारी पहचान पत्र/ फोटोग्राफ सहित बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया पहचानपत्र शामिल हैं. अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन बुलावा पत्र में दिए गए विवरण, उपस्थिति शीट और प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा. यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध पाई जाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नोट: अभ्यर्थियों को मूल फोटो पहचानपत्र प्रस्तुत करना होगा और प्रत्येक शिफ्ट में परीक्षा/ साक्षात्कार में भाग लेते समय उन्हें कॉल लेटर/ साक्षात्कार पत्र के साथ-साथ फोटो पहचानपत्र की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा/ साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चरण II परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को फोटो पहचानपत्र की दो/ तीन फोटोप्रतियाँ अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि परीक्षा के लिए दो/ तीन शिफ्ट हो सकती हैं. तथापि चरण I की परीक्षा के लिए फोटो पहचानपत्र की सिर्फ एक फोटोकॉपी पर्याप्त होगी. अभ्यर्थी यह नोट करें कि बुलावा पत्र में लिखे गए नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दिए गए नाम) का मिलान फोटो पहचानपत्र के साथ होना चाहिए. वे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने विवाह के बाद अपने प्रथम/ अंतिम/ मध्य नाम में परिवर्तन किया है, वे इसे विशेष रूप से नोट करें. नाम पूरी तरह से सटीक रूप से मेल खाना चाहिए. ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम में परिवर्तन किया गया है उन्हें परीक्षा देने की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जब वे गजट अधिसूचना/ विवाह का प्रमाणपत्र/ शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं. यदि बुलावा पत्र में लिखे गए नाम और फोटो पहचानपत्र में इंगित नाम में कोई विसंगित पाई जाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

4. ऑन लाइन परीक्षा (चरण I, II और चरण III) में प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ में अभ्यर्थी की आयु/ अर्हता/ श्रेणी (अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग) इत्यादि की जांच किए बिना शुद्ध रूप से अनंतिम होगा. **अत: सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवेदन में उनके द्वारा दिया गया विवरण सभी प्रकार से संपूर्ण/ सही हैं.** यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि

अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/ करती है और/ अथवा उसने गलत जानकारी दी है अथवा किसी तथ्य को छुपाया है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और यदि उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है तो बिना कोई नोटिस दिए उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी.

5. सरकारी/ अर्धसरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ उद्यमों में पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा. बैंक में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थी को नियोक्ता से उचित सेवामुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

6. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्ल्यू टूथ उपकरण या कोई अन्य उपकरण/ साधन उपयोग में लाने अथवा प्रयोग करने की अनुमति नहीं हैं.

7. अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा (चरण I, II और III) में भाग लेने हेतु अपनी लागत पर परीक्षा स्थान पर पहुंचना होगा.

8. अभ्यर्थी द्वारा सिर्फ एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाए. एक से अधिक आवेदनों की स्थिति के मामले में सिर्फ अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन पर विचार किया जाएगा और अन्य रेजिस्ट्रेशनों से संबंधित भुगतान किए गए आवदेन शुल्क/ सूचना प्रभार जब्त कर लिए जाएंगे.

9. इस विज्ञापन और/ या उसके जवाब में दिए गए आवेदन से उभरे किसी दावे या विवाद के मामले में कोई विधिक कार्यवाही केवल मुंबई में दायर की जाएगी और केवल मुंबई की अदालतों/ अधिकरणों / मंचों को ही किसी खंड/ विवाद की सुनवाई का न्यायिक अधिकार होगा.

10. परीक्षा संचालित करने के दौरान कुछ समस्या घटित होने की संभावना से पूर्ण रूप से इंकार नहीं किया जा सकता जिसके कारण टेस्ट डिलीवरी और/अथवा परिणाम सृजन प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में समस्या के समाधान हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों को अन्य केन्द्रों पर भेजना (शिफ्टिंग), परीक्षा में विलंब शामिल है. पुन: परीक्षा संचालित करना नाबार्ड/ परीक्षा संचालन करने वाली संस्था के पूर्ण विवेक पर निर्भर है. अभ्यर्थियों का पुन: परीक्षा के लिए कोई दावा नहीं रहेगा. जो अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अन्य स्थानों पर जाने हेतु इच्छुक नहीं होंगे अथवा टेस्ट डिलीवरी की विलंब प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, उनका नाम इस प्रक्रिया से निरस्त कर दिया जाएगा.

11. अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग/ आकव संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित को **सक्षम प्राधिकारी** माना गया है:

(क) अजा/ अजजा/ अपिव के लिए :

जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से कम नहीं)/ तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ एक्स्ट्रा असिस्टैंट कमिशनर. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से कम नहीं. अभ्यर्थी और/ या उसका परिवार सामान्यतया रहता है उस क्षेत्र का उप प्रादेशिक अधिकारी या भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित.

महाराष्ट्र के अजा/ अजजा/ अपिव अभ्यर्थियों को संवीक्षा समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

नोट : अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में, केवल केन्द्रीय सूची में उल्लिखित जातियों/ उप-जातियों पर ही विचार किया जाएगा. तदनुसार, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अंतर्गत संबंधित राज्यों की सूची में शामिल लेकिन केन्द्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं शामिल की गई जातियों/ उप-जातियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

(ख) **दिव्यांगों के लिए:** जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड.

केवल स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति ही पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण के हकदार हैं.

(ग) **अपिव के लिए:**

अपिव प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए.

अपिव अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होना चाहिए और 01.04.2024 को या उसके बाद जारी किया गया होना चाहिए.

अपिव श्रेणी के जो अभ्यर्थी **'क्रीमी लेयर'** में आते हैं और इसलिए अपिव आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के पात्र नहीं हैं उन्हें अपनी श्रेणी को **'अनारक्षित'** अथवा **'अनारक्षित (ओसी)'** अथवा **'अनारक्षित (वीसी)'** अथवा **'अनारक्षित (एचआई)' (जैसा लागू हो)** के रूप में इंगित करना चाहिए.

संबन्धित अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग (ओसी/ वीसी/ एचआई/ एमडी)/ आकव प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति/ प्रतियाँ निर्धारित फॉर्मेट में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए.

(घ) **आकव के लिए:**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ एक्स्ट्रा असिस्टैंट कमिशनर.

(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.

(iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से कम नहीं.

(iv) अभ्यर्थी और/ या उसका परिवार सामान्यतया जहाँ रहता है उस क्षेत्र का सब डिवीज़नल ऑफिसर.

आकव अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होना चाहिए और 01.04.2024 को या उसके बाद जारी किया गया होना चाहिए.

12. केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करें जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत में कहीं भी कार्य करने के इच्छुक हों.

13. अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवेदनपत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही है.

14. साक्षात्कार में भाग लेने वाले पात्र बाहरी अभ्यर्थियों को द्वितीय श्रेणी के एसी रेल टिकट (मेल / एक्सप्रेस केवल) या बस किराए के माध्यम से सबसे छोटे मार्ग या वास्तविक खर्च (जो भी कम हो) के माध्यम से यात्रा की साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी. स्थानीय वाहन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थी, यदि साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अयोग्य पाया जाता है किसी भी यात्रा किराया प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी.

15. साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी को उसके विरुद्ध यदि कोई आपराधिक मामले, सतर्कता मामले लंबित हों तो उनके बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी. यदि आवश्यक हुआ, तो बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड आदि के सत्यापन के साथ-साथ स्वतंत्र सत्यापन भी करेगा. बैंक ऐसे प्रकटीकरण और/या स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर चयन/नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

16. अभ्यर्थी को चरण I / II/ III ऑन लाइन/ मुख्य परीक्षा में प्रवेश मिल जाने मात्र से यह मान न लिया जाए कि बैंक अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में असंदिग्ध रूप से संतुष्ट है. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी कोई पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता और/ या अभ्यर्थी ने गलत सूचना प्रस्तुत की है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई गलती पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी.

17. अभ्यर्थी का चयन बैंक द्वारा नियुक्त/ अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित किए जाने की शर्त पर होगा.

18. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम तथा सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में नाबार्ड द्वारा किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा.

19. ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को बैंक की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो (क) बैंक द्वारा आवश्यक समझी गई जांच के बाद सेवा हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है, और (ख) बैंक द्वारा निर्धारित चिकित्सा जांच के बाद जिसे मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है और साथ ही जिसे ऐसे मानसिक और / अथवा शारीरिक दोष से मुक्त नहीं पाया जाता है जो कार्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डाल सकता हो.

20. अंग्रेजी पाठ के अलावा किसी अन्य पाठ की व्याख्या के फलस्वरूप कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा.

21. चरण I, II और चरण III की ऑनलाइन परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी अपने खर्च से आबंटित केन्द्र पर जाएँगे और इस दौरान किसी प्रकार के जोखिम के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होंगे और बैंक उन्हें होने वाली किसी प्रकार की क्षति/ हानि इत्यादि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

22. **ऑन-लाईन आवेदन का प्रिंट-आउट नाबार्ड को प्रेषित न किया जाए.**

23. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दी गई है/ या प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया तो उसे चयन प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर बाहर कर दिया जाएगा तथा

भविष्य में किसी भी नाबार्ड की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामले संज्ञान में नहीं आते और बाद में पता चलता है तो पूर्ववर्ती प्रभाव से अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा.

24. **किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा.**

25. बैंक चयन प्रक्रिया के मार्क शीट अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं कराता. भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद चरण-I (ऑनलाइन परीक्षा), चरण-II परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को नाबार्ड की वेबसाइट पर इंटरएक्टिव मोड में उपलब्ध कराया जाएगा. तथापि अंतिम परिणामों की घोषणा के बाद चरण-II और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को नाबार्ड की वेबसाइट पर इंटरैक्टिव मोड में उपलब्ध कराया जाएगा.

26. **बायोमैट्रिक डाटा – कैप्चरिंग और सत्यापन**

मुख्य परीक्षा से और उसके बाद अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक डाटा (अँगूठे के निशान) और फोटोग्राफ को कैप्चर करने का निर्णय लिया गया है. बाद में बायोमैट्रिक डाटा और फोटोग्राफ का सत्यापान किया जाएगा. बायोमैट्रिक डाटा की स्थिति (मिलान होना या मिलान न होना) के संबंध में बायोमैट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा.

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें:

- यदि अभ्यर्थी की उँगलियों पर किसी प्रकार की कोटिंग (मुहर की स्याही/ मेहंदी/ रंग आदि) लगी हो तो उसे अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें जिससे परीक्षा से पूर्व कोटिंग पूर्ण रूप से हट जाए.

- यदि उँगलियाँ गंदी हों या उन पर धूल जमी हो तो उँगलियाँ के निशान लेने के पहले (बायोमैट्रिक) उन्हें साफ करना और सुखाना सुनिश्चित करें.

- यह सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उँगलियाँ सूखी हों. यदि उँगलियाँ गीली हों तो उन्हें सुखाने के लिए प्रत्येक उँगली पोछें.

- यदि जिस मुख्य उँगली (अँगूठा) के निशान कैप्चर किए जाने हैं वह जख्मी/ क्षतिग्रस्त हो तो इस बारे में परीक्षा केंद्र के संबंधित अधिकारी को शीघ्र सूचित करें. ऐसी स्थिति में अन्य उँगलियों के निशान कैप्चर किए जाएँ.

27. अभ्यर्थियों के लिए कोई नोटिस/ सूचना जो बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है या पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट से भेजी गई है या बैंक के साथ पंजीकरण के समय आवेदक द्वारा उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजी गई है तो इसे सभी प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त रूप से सूचित किया गया माना जाएगा.

नोट:

उक्त विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र और अन्य घोषणाएँ केवल बैंक की वेबसाइट www.nabard.org/ पर ही प्रकाशित की जाएँगी.

XV. <u>महत्वपूर्ण तारीखें:</u>

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क / सूचना प्रभार का भुगतान.	27 **जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024**

मुंबई

दिनांक: 27 जुलाई 2024

(दिनेश पी)
मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग

परिशिष्ट I

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति.

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती ______________ (अभ्यर्थी का नाम), पुत्र/ पुत्री ______________________, ___________ निवासी (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), __________ वर्ष की आयु, _________ वाले व्यक्ति (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) की जांच की है और यह स्पष्ट किया जाता कि उसकी सीमा है, जिसके कारण उसकी लेखन क्षमता बाधित होती है. उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता होती है.

2. उपरोक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (निर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है.

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ____ तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है).

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ	क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट/ रिहैबिलिटेशन सायकोलॉजिस्ट/ सिकाइअट्रिस्ट/ सोशल एजुकेटर	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्युपेशनल थेरपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ………..अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/ स्वास्थ्य केंद्र का नाम और सील

स्थान:

तारीख:

परिशिष्ट II

निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किया गया है, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगतावाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति.

मैं ____________________________, __________________ (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) के साथ एक अभ्यर्थी ________________________________ (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा है, जिसका रोल नंबर है ___________________ जिला ____________________, ______________ (राज्य का नाम) में ___________________________________ (केंद्र का नाम) पर है. मेरी शैक्षणिक योग्यता ___________________________.

2. मैं एतद्द्वारा स्पष्ट करता हूं कि ____(स्क्राइब का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा.

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता ___________________________________ है. यदि बाद में, यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद और उससे संबंधित दावों के अपने अधिकार को जब्त कर लूंगा.

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख: